

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 604 / 2022

वाद पत्र अं० धारा 53 आर.टी.ए.

1. सुरजीत सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह
2. गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह
3. जसविन्द्र कौर पत्नी श्री जगमीत सिंह
4. सतविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगमीत सिंह

समस्त जाति जटसिख निवासी ढाबां
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. करनपाल सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह
2. कलवन्त सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह
3. जरनैल सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह
4. दुलीचन्द पुत्र श्री खुमण जाति जाट
5. नाहर सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह
6. प्रेम सिंह पुत्र श्री भोला सिंह
7. बलतेज कौर पत्नी श्री बलदेव सिंह
8. मलकीत कौर पत्नी श्री सुरेन्द्र
9. रमनदीप कौर पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह
10. सुखपाल कौर पत्नी श्री उद्यम सिंह
11. सावित्री देवी पत्नी श्री श्योकरण
12. हरफुल पुत्र श्री बुटाराम जाति जाट
13. हरीराम पुत्र श्री गुरमुख जाति जाट
14. अशोक कुमार पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट
15. कौशल्या पुत्री श्री ख्यालीराम जाति जाट
16. जगपाल सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह
17. सुखदीप सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह
18. नत्थू सिंह पुत्र श्री मुकन्द सिंह
19. प्रदीप कुमार पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट
20. परमजोत सिंह पुत्र श्री सुलतान सिंह
21. पारी पुत्री श्री बख्तावर सिंह जाति राजपुत
22. फूलो पुत्री श्री बख्तावर सिंह
23. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह
24. बहाल सिंह पुत्र श्री जोधा सिंह
25. भोमा सिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति राजपुत
26. मनीराम पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति राजपुत
27. महताब सिंह पुत्र श्री मोती सिंह जाति राजपुत
28. रजनीशपाल सिंह पुत्र श्री सुलतान सिंह
29. रामप्यारी पुत्री श्री बख्तावर सिंह जाति राजपुत
30. विजयलक्ष्मी पुत्री श्री ख्यालीराम जाति जाट
31. सुखदीप सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह
32. सुगन सिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति राजपुत

समस्त जाति जटसिख निवासी
ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.)



सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

33. सतवीर सिंह पुत्र श्री हरि सिंह जाति राजपुत निवासी ढाबां तहसील संगरिया
34. मेजर सिंह पुत्र स्व. श्री दलबारा सिंह जाति जटसिख सा. ढाबां तह. संगरिया
35. बलजीत सिंह पुत्र स्व. श्री दलबारा सिंह जाति जटसिख सा. ढाबां तह. संगरिया
36. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. श्री बृजलाल
37. प्रहलाद कुमार पुत्र स्व. श्री बृजलाल
38. अनिरुद्ध कुमार पुत्र स्व. श्री बृजलाल
39. हनुमान प्रसाद पुत्र स्व. श्री रामलाल
40. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री हरदयाल
41. कुलदीप कुमार पुत्र स्व. श्री हरदयाल
42. अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री अन्तराम
43. प्रहलाद कुमार पुत्र स्व. रामकुमार पुत्र स्व. मनीराम
44. भारतीय स्टेट बैंक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
45. पंजाब नैशनल बैंक शाखा ढाबां जरिये शाखा प्रबन्धक।
46. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री कुलदीप मूण्ड -वकील वादीगण
2. एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक :- 20.3.2024

वादीगण सुरजीत सिंह वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 46 के विरुद्ध यह राजस्व वाद खाता विभाजन के तहत दिनांक 29.11.2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एस.एन.जी. के खाता सं. 40/22 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.265 है. कृषि भूमि तथा वादी सं. 2 ता 4 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 बी.जी.पी. के खाता सं. 26/7 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.276 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एस.एन.जी. के खाता सं. 40/22 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.265 है. कृषि भूमि तथा वादी सं. 2 ता 4 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 बी.जी.पी. के खाता सं. 26/7 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.276 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकाड है। जिसका वादीगण ने अन्य सहकाशतकारान के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादीगण काशत करते चले आ रहे हैं। वादीगण का कब्जाकाशत बाबत् अन्य किसी भी सहकाशतकारान के साथ कोई विवाद नहीं है। वादीगण ने अन्य सहकाशतकारान के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादीगण काशत करते चले आ रहे हैं। वादीगण को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

- (क) वादी सं. 1 सुरजीत सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तह.

सहायक कलेक्टर एवं
राजपण्डु अधिकारी
संगरिया

संगरिया के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 3 एस.एन.जी. खाता सं. 40/22 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
211/155	42	11ता14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.

कुल 1.265 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 2 ता 4 क्रमशः गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह, जसविन्द्र कौर पत्नी श्री जगमीत सिंह एवं सतविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगमीत सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 26/7 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
218/144	27	7,8,12,13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17ता19/0.253 है.प्र.

कुल 2.530 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

वादीगण उक्त बंटवारा के रोज से ही वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णितानुसार कृषि भूमि पर काबिज रहकर काशत करते आ रहे है उक्त कृषि भूमि की कब्जाकाशत बाबत कोई विवाद नहीं है परन्तु वाटरमेन्ट शुल्क, माली रकम आदि राज्य सरकार को अदा करने में अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा सीवबट को लेकर भी आपस में लड़ाई झगड़े का अंदेशा रहता हैं। इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीगण का खाता अलग कायम करवाकर देने का प्रतिवादीगण से निवेदन किया, तो पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे लेकिन गत् सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 4,6,11,13ता15,18,19,21,22,24ता27,29,30,32ता37,45 को रजि. एडी करवाने के बावजूद पते के अभाव में लौटने पर इनके सम्मन दैनिक सामाचार पत्र में साया करवाये गये। प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 ता 7ता10,12,16,17,20,23,28,31,33 ता 44 को न्यायालय में बार-बार आवाजे लगाई। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 45 को तीन बार आवाजे लगाई गई इसके बावजूद हाजिर नहीं आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा साक्ष्य के तौर पर चक 3 एस.एन.जी. खाता सं. 40/22 चक नं. 2 बी.जी.पी. खाता सं. 26/7 जं.सं. 2072-75 की छायाप्रति पेश की। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से कब्जा काशत की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ने अपने पत्रांक/भू.अ./023/4438 दिनांक 29.12.2023 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादपत्र में वर्णित वादीगण एवं प्रतिवादीगण सह काश्तकार है। प्रतिवादी सं. 1 ता 45 बावजूद सूचना न्यायालय में हाजिर नहीं आये है। वादग्रस्त भूमि के वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त है। प्रकरण में अन्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए वादीगण का वादपत्र मुताबिक वादपत्र एवं तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त कब्जा काश्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

एकपक्षीयबहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चक 3 एस.एन.जी. खाता सं. 40/22 चक नं. 2 बी.जी.पी. खाता सं. 26/7 जं.सं. 2072-75 एवं तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी पर पक्षकारों का अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में भी कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद सामने नहीं आया है। प्रतिवादी सं. 1 ता 45 बावजूद सूचना न्यायालय में हाजिर नहीं आये है। प्रकरण में अन्य कोई विरोध सामने नहीं आया है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग से कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः उक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का वादपत्र तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता



तहसील संगरिया के चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 26/7

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
218/144	27	7,8,12,13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.

17ता19/0.253 है.प्र., कुल 2.530 है.

काश्तकार के बताए अनुसार मौका कब्जा निम्न प्रकार से है:-

(अ) गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह 0.759 है., जसविन्द्र कौर पत्नी श्री जगमीत सिंह 0.759 है., सतविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगमीत सिंह 0.759 है., जाति जटसिख निवासी ढाबां। जसविन्द्र कौर राहिन पंजाब नैशनल बैंक शाखा ढाबां।

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
218/144	27	8,12,13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.

17ता19/0.253 है.प्र., कुल 2.277 है.

(ब) सतवीर सिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति राजपूत निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
218/144	27	7/0.253 है., कुल 0.253 है.

1. जिनका कब्जा नहीं है लेकिन रजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज है:-

उक्त रकबा पर अन्य अन्तराम पुत्र श्री लालासिंह जाति जाट, अशोक कुमार पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट, कलावती पत्नी श्री ख्यालीराम जाति जाट, कौशल्या पुत्री ख्यालीराम जाति जाट, जगपाल सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख, सुखदीप सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख, बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख, परमजोत सिंह पुत्र श्री सुल्तान

सिंह जाति जटसिख, रजनीशपाल सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाति जटसिख, नत्थूसिंह उर्फ नत्था पुत्र श्री मुकन्द सिंह, सुल्तान सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह उर्फ नत्था सिंह जाति जटसिख, बहाल सिंह पुत्र श्री जोधा सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां, पारी पुत्री श्री बख्तावर सिंह जाति राजपूत, मनीराम पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति राजपूत, फूलो पुत्री श्री बख्तावर सिंह जाति राजपूत, भोमा सिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति राजपूत, मनीराम पुत्र श्री लाला जाति राजपूत, सुगन सिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति राजपूत, महताब सिंह पुत्र श्री मोती सिंह जाति राजपूत, रामप्यारी पुत्री श्री बख्तावर सिंह जाति राजपूत निवासी ढाबां, विजय लक्ष्मी पुत्री श्री ख्यालीराम जाति जाट, का मौका कब्जा काशत नहीं है।

2. तहसील संगरिया के चक 3 एस.एन.जी के खाता सं. 40/22

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
210/153	19	15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
211/153	20	11,12/0.253 है.प्र., 13/1/0.208 है., 16/1/0.076 है., 17/1/0.051 है., 18ता23/0.253 है.प्र.,
211/155	42	11ता14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 कुल 4.383 है.

उक्त रकबा पर कब्जा काशत निम्न प्रकार से है:-

सुरजीत सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां राहिन पंजाब नैशनल बैंक शाखा ढाबां।

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
211/155	42	11ता14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 कुल 1.265 है.

(ख) तरसेम सिंह पुत्र श्री उद्यम सिंह 0.885 है., सुखपाल कौर पत्नी श्री उद्यम सिंह 0.380 है., जाति जटसिख निवासी ढाबां।

तरसेम सिंह पुत्र श्री उद्यम सिंह 0.564 है., हिस्सा रहिन एस.बी.आई बैंक शाखा संगरिया, सुखपाल कौर पत्नी श्री उद्यम सिंह 0.283 है., राहिन एस.बी.आई बैंक शाखा संगरिया।

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
210/153	19	15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
211/153	20	20,21/0.253 है.प्र., कुल 1.265 है.

(ग) कुलवन्त सिंह, जरनैल सिंह, नाहर सिंह पुत्रगण श्री बलदेव सिंह ब.हि.ब. जाति जटसिख निवासी ढाबां।

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
211/153	20	11,12/0.253 है.प्र., 13/1/0.208 है., 16/1/0.076 है., 17/1/0.051 है., 18,19,22,23/0.253 है.प्र., कुल 1.853 है.,

2. जिन काशतकारो का कब्जा है लेकिन रजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं है कि अलग से नाम मय वल्लिद्यत सूची सहित रिपोर्ट :-

उक्त रकबा पर मौका कब्जा काशत काशतकारो के बताए अनुसार है। जबकि करनपाल सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति जटसिख, दलवारा सिंह पुत्र श्री ठाणा सिंह जाति जटसिख, दुलीचन्द पुत्र श्री खुमण जाति जाट, प्रेम सिंह पुत्र श्री भोला सिंह जाति जटसिख, बगू पुत्र श्री पन्ना जाति जाट, बृजलाल पुत्र श्री बूटाराम जाति जाट, मलकित कौर पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह जाति जटसिख, रमनदीप कौर पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह जाति जटसिख, रामलाल पुत्र बूटाराम जाति जाट, सावित्री देवी पत्नी श्री

शुक्रोकरण जाति जाट, हरदयाल पुत्र श्री बूटाराम जाति जाट, हरफूलराम पुत्र श्री बूटाराम जाति जाट, हरीराम पुत्र गुरमुख जाति जाट का मौका कब्जा कास्त नही है।

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी / प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निर्णय:- निज.../...निल.../...मुब्लिक.../...निल.../...बाबत.../...निल.../...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकको अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20/3/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया